ओजीएल के तहत होगा चीनी निर्यात

बिजनेस भास्कर • नई दिल्ली

अहम निर्णय

सरकार ने किया प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य खत्म करने का फैसला

खाद्यान्न निर्यात के लिए रंगराजन की अध्यक्षता में बनेगी समिति

केंद्र सरकार ने चीनी का निर्यात ओपन जरनल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत करने का फैसला किया है। प्याज निर्यात बढ़ाने के लिए इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य खाद्यान्न के निर्यात और आवंटन के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अध्यक्षता में समिति बनाने का फैसला किया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसले किए गए।

सूत्रों के अनुसार चीनी निर्यात अब ओजीएल के तहत करने का निर्णय किया गया है। चीनी निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध को भी खत्म कर दिया गया है। अब निर्यातकों को चीनी निर्यात के लिए रिलीज ऑर्डर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चालू पेराई सीजन में अभी तक सरकार 30 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दे चुकी है। उद्योग सूत्रों के अनुसार चीनी निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध और रिलीज ऑर्डर की वैधता हटने से उत्तर भारत की चीनी मिलों को नुकसान होगा तथा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की मिलें फायदे में रहेंगी। सूत्रों के अनुसार कृषि मंत्री और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार के दबाव में सरकार को यह फैसला करना पड़ा है। पवार ने हाल ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि सरकार की निर्यात नीति से किसान हितों को चोट पहुंच रही है। बैठक में पवार के अलावा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, खाद्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के.वी. थॉमस और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा मौजूद थे। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उपयुक्त नीति बनाने के मकसद से सरकार ने सी. रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आस्ट्रेलिया, यूक्रेन और रूस के मुकाबले भारतीय गेहूं का दाम ज्यादा होने के कारण भारत से निर्यात धीमा है। सरकारी गोदामों में खाद्यान्न का बंपर स्टॉक है जबकि रबी विपणन सीजन में गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है। ऐसे में सरकार के सामने खाद्यान्न के भंडारण की समस्या बनी हुई है।

बिजनेस भास्कर

3/5/12